Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2010
(BHADRA 11, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd September, 2010

No. 17—HLA of 2010/50.—The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 17—HLA of 2010

THE MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend the Maharshi Dayanand University Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Maharshi Dayanand University (Amendment) Act, 2010. Short title.

2. In the proviso to sub-section (2) of section 9-A of the Maharshi Dayanand University Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), for the figure "65", the figure "68" shall be substituted. Amendment of section 9-A of Haryana Act 25 of 1975.

Amendment of section 9-AA of Haryana Act 25 of 1975.

3. In the proviso to sub-section (2) of section 9-AA of the principal Act, for the figure "65", the figure "68" shall be substituted.

Repeal and saving.

4. (1) The Maharshi Dayanand University (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 3 of 2010), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Universities are established to disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of learning as it may deem fit and the Vice-Chancellor is the principal executive and academic officer of the university and exercises general supervision and control over the affairs of the university and gives effect to the decisions of all the authorities of the university.

The Pro Vice-Chancellor is an officer appointed by the Chancellor who is not below the rank of a Professor and exercises such duties as are assigned to him by the Vice-Chancellor.

The provisions regarding the appointment of Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors in the Acts of Kurukshetra University Kurukshetra, Maharshi Dayanand University Rohtak, Chaudhary Devi Lal University Sirsa and Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Sonepat) are essentially the same with maximum of two tenures of three years each with the maximum age permissible being 65 years.

For the effective administration of the universities and to retain eminent and seasoned persons, it is proposed to increase the superannuation age for Vice- Chancellor and Pro Vice-Chancellor from the present 65 years to 68 years.

Hence, this bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 2nd September, 2010.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 17-एच० एल० ए०

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010. कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 9क का संशोधन।

2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 9क की उप-धारा (2) के परन्तुक में, "65" अंकों के स्थान पर, "68" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 9क क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 9-क क की उपधारा (2) के परन्तुक में, "65" अंकों के स्थान पर, "68" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

ज्ञान के विस्तार एवं प्रसार के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक एवं शोध सुविधाएं प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी है जो विश्वविद्यालय के कार्यों का सामान्य निरीक्षण एवं नियन्त्रण करता है और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करता है।

उप कुलपति, जो न्यूनतम प्रोफेसर की श्रेणी का हो, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और कुलपति द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करता है।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय सिरसा एवं भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां के अधिनियम में कुलपति एवं उप कुलपति की नियुक्ति हेतु वही आवश्यक प्रावधान है जिसमें अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक तीन वर्ष की दो अवधियां अनुज्ञेय हैं।

विश्वविद्यालयों में प्रभावी प्रशासन और विख्यात एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों को रखने के उद्देश्य से कुलपतियों एवं उप कुलपतियों की सेवा निवृति की वर्तमान 65 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 68 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
2 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

47634—H.V.S.—H.G.P., Chd.